कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/पेंशन–अ/34926/09/ दिनांक 11.11.2019

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा

विषय :– सेवानिवृत्ति पर शेष उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के भुगतान के सम्बन्ध में ।
प्रसंग :– अ.नि.पे./बीका/नियम/ 2019–20/ 1849 दिनांक 10.10.2019

अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर के अनुसार वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग राज0 जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ.5 (प.75) डी.टी.ए./IFMS/3666-4165 DT. 13.09.19 के बिन्दू संख्या 07 व 08 के अनुसार 01.11.2019 से सभी कार्मिक/अधिकारियो की सेवानिवृत्ति पर शेष रहे उपार्जित अवकाशो के नगदीकरण के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये है । जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है । उक्त निर्देशो की पालना सुनिश्चित करें । इस हेतु पेंशन प्रपत्र के साथ एम्पलोई आई.डी. व ऑफिस आई.डी. भिजवाना सुनिश्चित करें ।

इस सम्बन्ध में आपके अधीनस्थ समस्त मुख्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयो के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापको को अपने स्तर पर निर्देशित करें ।

संलग्न :– परिपत्र के बिन्दू सं0 07 व 08 की प्रति ।
अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग की प्रति ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/पेंशन–अ/34926/09/ दिनांक 11.11.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्राचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर /अजमेर ।
2. रोकड़ अनुभाग, कार्यालय हाजा ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

पेंशन

राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर

क्रमांक– अ.नि.पे/बीका/नियम/2019-20 1849 दिनांक– 10/10/19

निदेशालय
माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर

विषय : सेवानिवृति पर शेष उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ: वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग राज. जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ 5 (प-75)डी.टी.ए/IFMS/3666-4165 DT.13.09.19

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13/09/19 के बिंदु संख्या 7 व 8 के अनुसार 01/11/19 से सभी कार्मिको/अधिकारियो की सेवानिवृति पर शेष रहे उपार्जित अवकाशो के नकदीकरण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं जिनकी प्रति संलग्न की जा रही हैं उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।

इस हेतु पेंशन प्रपत्र के साथ एम्प्लोई आई डी व आफिस आईडी भिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्न: परिपत्र के बिंदु 7 व 8 की फोटो प्रति

भवदीय

उप.निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
बीकानेर।

7. बजट मद 2071 हेतु बजट नियन्त्रण अधिकारी पेंशन विभाग हैं तथा बजट नियंत्रण अधिकारी के दायित्वों के अधीन आइ.एफ.एम.एस. बजट मॉड्यूल पर संबंधित कार्यालयों को बजट आवंटन उपलब्ध कराना एवं व्यय पर नियंत्रण रखना प्राथमिक दायित्व है। बजट मद 2071–01–115–01–01–84 के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान संबंधित विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा सक्षम स्तर पर सेवानिवृत्ति आदेश जारी होने तथा सेवानिवृत्ति तिथि के पश्चात नियमानुसार अवकाशों की जाँच कर स्वीकृति जारी कर नियमानुसार जारी किया जाना अपेक्षित होगा है। बजट मद 2071–01–115–01–01–84 के अन्तर्गत संव्यवहारों की अधिक शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेंशन निदेशालय व सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभाग के कार्यालयों से पेंशन कुलक प्राप्त होने पर सम्बद्ध कार्मिक/अधिकारी की एम्पलॉई आइ.डी. व डेटा पे–मैनेजर से Fetch किया जायेगा तथा पी.पी.ओं. का जनरेशन IFPMS पर होने के उपरान्त संबंधित कार्यालय की ऑफिस आई.डी. में सेवानिवृत्ति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु आवश्यक बजट आई.एफ.एम.एस. बजट मॉडयूल पर आवंटित किया जायेगा। इस हेतु पेंशन कुलक के साथ एम्पलॉई आई.डी. व ऑफिस आई.डी. की सूचना लिया जाना भी पेंशन निदेशालय के स्तर पर अनिवार्य होगा तथा सभी विभाग भी इसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगें। संबंधित कार्यालय पेंशन कुलक पेंशन विभाग में प्रेषित करने से पूर्व सर्विसबुक की जाँच कर अवकाशों का अधिकृत विवरण अपने पास सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित करेगें जिससे पेंशन विभाग द्वारा पीपीओ जारी करने

के उपरान्त किए गए बजट आवंटन के आधार पर नियमानुसार देय सेवानिवृत्ति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान पीपीओ नम्बर Fetch कर एवं बिल में उपयोग करते हुए निर्धारित समयावधि में संबंधित को किया जा सके। एन.आई.सी. द्वारा सिस्टम पर सभी संबंधित प्रावधान किए जाने सुनिश्चित किए जायेगें। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सेवानिवृत्ति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के बिलों हेतु आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर पीपीओ नम्बर IFPMS से Fetch करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था दिनांक 01.11.2019 के पश्चात अनिवार्य रूप से लागू हो जायेगी।

8. पे–मैनेजर पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का बिल बनाते समय पी.पी.ओ. नम्बर से ही डेटा लिया जाकर सिस्टम में जाँच कर प्रेषित किया जायेगा। पेंशन विभाग द्वारा बजट मद 2071–01–115–01–01–84, 2071–01–104–02–00–84 तथा 2071–800–01–00–84 के अन्तर्गत संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों को एवं इसके अतिरिक्त 2071 से सम्बद्ध अन्य उपमदों, लघुशीर्षों इत्यादि में कोषालय–वार बजट आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा तथा एन.आई.सी. द्वारा आई.एफ.एम.एस. पर 2071 मुख्य मद में कार्यालय–वार, कोषालय–वार पूर्ण बजट नियंत्रण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। यह व्यवस्था दिनांक 01.11.2019 के पश्चात् अनिवार्य रूप से लागू हो जायेगी।